

आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग के संबंध में जारी रेग्यूलेशन 2009 के अनुसार रैगिंग की रोक थाम के लिए विश्वविद्यालय में निम्नानुसार रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) का गठन किया जाता है।

- | | |
|--|---|
| 1. संस्था अध्यक्ष | कुलपति ,अध्यक्ष |
| 2. पुलिस प्रशासन | नगर पुलिस अधीक्षक, एम.पी.नगर, भोपाल |
| 3. नागरिक प्रशासन | सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एम.पी. नगर, भोपाल |
| 4. स्थानीय मीडिया, प्रतिनिधि | श्री अजय त्रिपाठी, ई.टी.वी |
| 5. युवा गतिविधियों से जुड़े किसी गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि | श्री आशीष श्रीवास्तव, नेहरु युवा केन्द्र, भोपाल |
| 6. संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि | समस्त विभागाध्यक्ष |
| 7. माता-पिता में से प्रतिनिधि | प्रत्येक विभाग से एक |
| 8. नए छात्रों के प्रतिनिधि | प्रत्येक विभाग से एक |
| 9. पुराने छात्रों के प्रतिनिधि | प्रत्येक विभाग से एक |
| 10. गैर शैक्षणिक कर्मचारी | श्री राजेश शर्मा |

(डॉ. सच्चिदानंद जोशी)

कुलसचिव

पृ.क्रं./1425/अका./2015

भोपाल, दिनांक 03 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि/—

1. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 7, 8, एवं 9 के अनुसार कार्यवाही कर नाम पता एवं मोबाईल नम्बर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें।
3. श्री अजय त्रिपाठी, ई.टी.वी, भोपाल को सूचनार्थ।
4. श्री आशीष श्रीवास्तव, नेहरु युवा केन्द्र, भोपाल को सूचनार्थ।
5. नगर पुलिस अधीक्षक, एम.पी. नगर, भोपाल को सूचनार्थ।
6. सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एम.पी. नगर, भोपाल को सूचनार्थ।
7. श्री राजेश शर्मा को सूचनार्थ।
8. प्रभारी, नोएडा परिसर को सूचनार्थ।
9. प्रभारी खण्डवा परिसर को सूचनार्थ।
10. प्रभारी अमरकंटक परिसर को सूचनार्थ।
11. प्रभारी ग्वालियर परिसर को सूचनार्थ।
12. आदेश पुस्तिका।


 (डॉ. सच्चिदानंद जोशी)
 कुलसचिव